बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 2014

संख्या–2/एम02–70–27/2011 गृ0आ0 /श्री तौहिद परवेज, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापन के दौरान समस्तीपुर मुफस्सिल थाना कांड सं0–82/03 में त्रुटिपूर्ण अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी देने, फर्दबयान लेने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी के त्रुटि कॉलम में मंतव्य नहीं अंकित करने, अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर गंभीरता से जाँच नहीं करने, पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के बिना जमानत हेतु न्यायालय में अनुरोध पत्र भेजने का निदेश अनुसंधानकर्त्ता को देने, नामजद अभियुक्त विनोद मिश्रा एवं अप्राथमिकी अभियुक्त धीरज कुमार को फरार घोषित कर अनुसंधान बंद कर देने आदि आरोपों के लिए गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापन सं0–1316 दिनांक 21.02.2013 द्वारा निदेशित किया गया कि वे अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करें।

2. श्री परवेज द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) के तहत उनके विरूद्ध गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प सं0–5597 दिनांक 24.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री तौहिद परवेज तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर को निर्दोष पाए जाने संबंधी मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में अंकित आरोपवार मंतव्य तथा अंकित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री तौहिद परवेज, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को पूर्णतया दोषमुक्त कर विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(महाशंकर मिश्र)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2/एम02–70–27/2011 गृ0आ0 7502 /पटना, दिनांक, 12/9 2014

प्रतिलिपिः–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री राजीव रंजन सिन्हा, विशेष सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), गृह विभाग/श्री तौहिद परवेज, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/14
सरकार के विशेष सचिव।